



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

शिक्षा सदन, 17, इन्सटिट्यूशनल क्षेत्र, राउज एवेन्यु, दिल्ली-110002.

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organization under the Union Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)
"Shiksha Sadan", 17, Institutional Area, Rouse Avenue, Delhi-110002

के.मा.षि.बो./षैक्ष./DIR(ART&I)/2013/

दिनांक: 08 अगस्त, 2013
परिपत्र संख्या-षैक्षणिक. 52/2013

के.मा.षि.बो. से संबद्ध
सभी विद्यालयों के प्रमुख

विषय: शैक्षणिक सत्र 2013-14 के लिए ग्रीष्मकालीन विद्यालयों में कक्षा IX एवं XI के "समस्या समाधान आकलन" (PSA) के संचालन की तिथि में बदलाव

प्रिय प्राचार्य,

यह परिपत्र, 10 जनवरी 2014 को ग्रीष्मकालीन विद्यालयों में होने वाले कक्षा IX एवं XI के "समस्या समाधान आकलन" (PSA) के संबंध में, एक पूर्व परिपत्र संख्या 35 दिनांक 29 मई 2013 से संदर्भित है। बोर्ड ने उस सूचना से संबंधित कई अनुरोध प्राप्त किए हैं, जिसमें यह बताया गया है कि कुछ विद्यालयों के, 15 जनवरी 2014 तक की अवधि में, सर्दी की लंबी छुट्टियों के कारण बंद रहने की संभावना होती है। बोर्ड से यह भी अनुरोध किया गया है कि कथित परीक्षा 15 जनवरी 2014 के बाद किसी भी तिथि को आयोजित की जा सकती है।

ऐसे सभी अनुरोधों एवं विद्यालयों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कक्षा IX एवं XI के लिए होने वाले "समस्या समाधान आकलन" के संचालन की तिथि 10 जनवरी 2014 से बदलकर 18 जनवरी 2014 (शनिवार) कर दी गई है। साथ ही इस तथ्य की ओर भी ध्यान दें कि परिपत्र संख्या 36, दिनांक 29 मई 2013 के अनुसार शीतकालीन विद्यालयों में PSA के संचालन की तिथि पूर्ववत् 19 अक्टूबर 2013 ही रहेगी।

आपसे अनुरोध है कि कृपया सत्र 2013-2014 के लिए PSA के संचालन की तिथि में हुए उपरोक्त बदलाव से संबंधित सूचना को ध्यान में रखे तथा इसके अनुसार ही संबंधित सभी लोगों को इसकी सूचना दें।

धन्यवाद सहित,

भवदीया

डॉ. साधना पाराषर

प्रोफेसर एवं निदेशक (षैक्षणिक, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं नवाचार)

निवेदन के साथ, सभी निदेशालयों, संगठनों और संस्थानों के प्रमुखों को, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी विद्यालयों को सूचना देने के लिए प्रतिलिपि:—

1. आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, 18—इन्स्टिट्यूशनल एरिया, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली — 110016.
2. आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति, ए.28ए कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली.
3. शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकारए पुराना सचिवालय, नई दिल्ली.—110054
4. निदेशक, सार्वजनिक निर्देश (विद्यालय), केन्द्र शासित प्रदेश सचिवालय, सेक्टर—9, चंडीगढ़— 160017.
5. शिक्षा निदेशक, सिक्किम सरकार, गंगटोक, सिक्किम—737101
6. निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, अरुणाचल प्रदेश सरकार, ईटानगर—791111.
7. शिक्षा निदेशक, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह सरकार, पोर्ट ब्लेयर—744101.
8. राज्य शिक्षा संस्थान, के.मा.शि.बो. कक्ष वी.आई.पी. मार्ग, जंगली घाट, पी.ओ.—744103, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह।
9. केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, एस.एस. प्लाज़ा, सामुदायिक केन्द्र, सेक्टर—3, रोहिणी, दिल्ली—110085.
10. शिक्षा अधिकारी/सह—शिक्षा अधिकारी, शैक्षणिक विभाग, के.मा.शि.बो.
11. अनुसंधान अधिकारी (तकनीकी) को इस परिपत्र को के.मा.शि.बो. की वेबसाइट पर डालने के अनुरोध के साथ।
12. पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी, के.मा.शि.बो.
13. अध्यक्ष, के.मा.शि.बो. के कार्यकारी सचिव
14. सचिव, के.मा.शि.बो. के डेस्क अधिकारी/निजी सहायक
15. परीक्षा नियंत्रक, के.मा.शि.बो. के निजी सहायक
16. निदेशक (शैक्षणिक) के.मा.शि.बो. के निजी सहायक
17. संयुक्त सचिव, (संयुक्त प्रवेश परीक्षा), के निजी सहायक
18. विभाग अध्यक्ष, (एडुसैट) के निजी सहायक
19. जन संपर्क अधिकारी के.मा.शि.बो., के निजी सहायक
20. के.मा.शि.बो. के सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को इस अनुरोध के साथ कि इस परिपत्र को अपने—अपने क्षेत्र के सभी संबद्ध विद्यालयों के प्रमुखों को भिजवा दें।

प्रोफेसर एवं निदेशक (शैक्षणिक, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं नवाचार)